41 23
11.7.11

संख्या– /78–2–2011–6आई.टी./05टीसी(ए)

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,

2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 जून, 2011

विषयः कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर को डाटा सेन्टर में अपलोड किये जाने के पूर्व आडिट किये जाने से सम्बन्धित प्रकिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप विदित है कि ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभागों द्वारा कम्प्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से जन साधारण को शासकीय सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इस कार्य में जैसे-जैसे प्रगति हो रही है तथा एप्लीकेशन साफ्टवेयर की संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे-वैसे असामाजिक तत्वों तथा राज्य/राष्ट्र के शत्रु इस कार्य में सेंध लगाने तथा इसके माध्यम से कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की नियमित चेष्टा कर रहे हैं। पूर्व में कुछ अवसरों पर ऐसे अवांछित तत्वों द्वारा कम्प्यूटर वायरस तथा स्पाई साफ्टवेयर के माध्यम से डाटा थेप्ट (data thept) तथा Website Defacing का कार्य किया जा चुका है।

ई-गवर्नेन्स परियोजना के अन्तर्गत जन सामान्य को शासकीय सेवायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 15 अगस्त 2011 तक उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इसके पश्चात समस्त विभागीय एप्लीकेशन तथा डाटा उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर में अपलोड कर दिये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विभागों द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा डाटा सेन्टर में अपलोड किये जाने वाले डाटा की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नवत सुरक्षात्मक कदम उठाये जायें ताकि इस प्रकार के कृत्यों को निष्प्रभावी किया जा सके।

विभागों द्वारा विकसित कराये जा रहे एप्लीकेशन साफ्टवेयर अथवा डाटा सेन्टर में अपलोड किये जाने के पूर्व डाटा की अनिवार्य रूप से सिक्योरिटी आडिट कराया जाय। सम्बन्धित विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे एन0आई0सी0 से संपर्क स्थापित कर विकसित/प्रस्तावित एप्लीकेशन साफ्टवेयर का सिक्योरिटी आडिट करा लें। इस कार्य में होने वाले व्यय का भार सम्बन्धित विभाग द्वारा ही वहन किया जायेगा।

अनुरोध है कि आगामी 1 माह में विभाग अपने एप्लीकेशन साफ्टवेयर की सिक्योरिटी आडिट अवश्य करा लें। तदोपरान्त ही विभागीय एप्लीकेशन को डाटा सेन्टर में होस्ट किया जा सकेगा।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव

क्रमश...2..

संख्या– 901(1)/78–2–2011 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2– मंत्रि–मण्डलीय सचिव के स्टाफ आफिसर, को महोदय के सूचनार्थ।
3– मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को महोदय के सूचनार्थ।
4– कृषि उत्पादन आयुक्त के स्टाफ आफिसर को महोदय के सूचनार्थ।
5– उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–6/वित्त (लेखा) अनु0–1, उ0प्र0 शासन।
7– प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
8– महालेखाकार लेखापरीक्षा–प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
9– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
10– प्रबंध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11– प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0सी0 गुप्ता)
विशेष सचिव